XIV-Form No. 563.

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व अपील वाद संख्या 36/2002

(धारा 48(F) बी0टी0 एक्ट के अर्न्तगत)

श्री मो0 उमेद अली, पिता–शेख अताबुल, सकिन–पोखरिया, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ .... आवेदक

बनाम

1. राज्य सरकार
2. फूलमणी देवी, पति रेवती प्रसाद उर्फ देवकी प्रसाद
3. संजय राय, पिता–देवकी प्रसाद
4. राजीव राय, पिता– देवकी प्रसाद

सभी साकिन– सिमरगाछी, थाना–सदर, जिला– पूर्णियाँ......................विपक्षी

आ दे श

उपरोक्त वाद बटाईदारी वाद संख्या 14/92–93 में विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दायर किया गया है। आवेदक खाता नं0 268, खेसरा नं0 1123 रकवा 0.24 डि0 जमीन मालिक देवकी प्रसाद उर्फ रेवती प्रसाद से 25 वर्ष पूर्व बटाईदारी पर लिया था। फसल बांटकर आवेदक नियमित रूप से जमीन मालिक को देता रहा तथा जमीन मालिक की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्रों को देने लगा। इस बीच विपक्षीगण जमीन बेचने की नीयत से आवेदक को जमीन खाली करने के लिए धमकी देने लगा। आवेदक गरीब एवं भूमिहीन है और अपने बटाईदारी हक के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर के न्यायालय में बटाईदारी वाद संख्या 14/92–93 दाखिल किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में विपक्षी अधिकांशतः अनुपस्थित रहे। यहाँ तक कि बहस के दिन भी विपक्षीगण द्वारा बीस नहीं किया गया। फिर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने यह कहकर कि जमीन का मौजा आवेदन में अंकित नहीं है तथा विपक्षी का दो गवाह आवेदक के बटाईदार होने की पुष्टि नहीं करता है। आवेदक का यह भी कथन है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने विपक्षी के दो गवाहों की बात को महत्व दिया जबकि मेरी ओर से प्रस्तुत पाँच गवाहों के गवाही को नजर अंदाज किया गया। अतः आवेदक के द्वारा इस न्यायालय से बटाईदारी हक के लिए अपील किया गया।

दिनांक 03.01.2011 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का यह कहना है कि आवेदन में मौजा/थाना नं0 गलती से जिक्र नहीं हो पाया। निम्न न्यायालय का आदेश न्यायसंगत नहीं है बल्कि विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर के द्वारा सही ढंग से सुनवाई नहीं किया गया एवं जमीन संबंधी विवरणी को भी नजरअंदाज किया गया।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विपक्षी के द्वारा यह कहा गया कि निम्न न्यायालय का आदेश उचित है एवं आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन में गलत धारा अंकित किया गया है। इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत नहीं है। अतः आवेदक के अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर को अभिलेख वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे पुनः नियमानुसार सुनवाई कर न्यायसंगत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ